संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश

"कचनार" ई-5 पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016
ई मेल mptownplan@mp.gov.in, दूरभाष 0755-2427091

क्रमांक 3610 /टीसी/15/ग्वालियर/उपां-क/नग्रानि/2024-25 भोपाल,दिनांक:- 4 /08/2025

प्रति,

आयुक्त,
जनसम्पर्क संचालनालय,
भोपाल।

विषय:- मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 23-क (1) (क) के अधीन ग्वालियर विकास योजना, 2035 में ग्राम जडेरूआ खुर्द तहसील मुरार जिला ग्वालियर स्थित खसरा क्रमांक 215, 218/1, 218/2, 222, 223, 225 कुल रकबा 3.8581 हेक्टेयर भूमि का मिश्रित, आमोद-प्रमोद एवं मार्ग में भू-उपांतरण बाबत। (आवेदक - कलेक्टर जिला ग्वालियर म.प्र.)

उपरोक्त विषय में लेख है कि संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, म.प्र. भोपाल ने ग्वालियर विकास योजना, 2035 में उपांतरण प्रस्तावित किया है। अतः संलग्न सूचना, ग्वालियर नगर में प्रचलित ऐसे **एक दैनिक हिन्दी और एक अंग्रेजी समाचार पत्र** में प्रकाशित कराने का कष्ट करें जो कि विज्ञापन के प्रयोजनों के लिये राज्य सरकार की अनुसूची में हो तथा ग्वालियर नगर में व्यापक परिचालन में हो।

तदानुसार कृपया उक्त सूचना यथाशीघ्र प्रकाशित कराकर समाचार पत्रों की कतरनों की मूल प्रतियॉ इस संचालनालय को उपलब्ध का कष्ट करे।

संलग्न :- यथोपरि

(श्रीकांत बनोठ)
आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म.प्र. भोपाल

पृ. क्रमांक 3611 /टीसी/15/ग्वालियर/उपां-क/नग्रानि/2024-25 भोपाल,दिनांक:- 4 /08/2025

प्रतिलिपि:-

1 अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय, भोपाल की ओर कृपया सूचनार्थ।

2 कलेक्टर, जिला ग्वालियर म.प्र. की ओर सूचनार्थ।

3 संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, ग्वालियर म.प्र. की ओर लेख है कि उक्त सूचना के प्रकाशित होने वाले दोनो समाचार पत्रों की मूल प्रतियां एवं निर्धारित समय सीमा में यदि कोई आपत्ति / सुझाव प्राप्त हो तो उसकी प्रति संचालनालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करे।

संलग्न :- यथोपरि

आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म.प्र. भोपाल

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश

"कचनार" ई-5 पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016
ई-मेल-mptownplan@mp.gov.in, दूरभाष-0755-2427091

सूचना

3010

भोपाल, दिनांक:-04 /09/2025

क्रमांक /टीसी/15/ग्वालियर/उपां-क/नग्रानि/2024-25 भोपाल, - मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक-23 सन् 1973) की धारा 23-क की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन एतद् द्वारा सार्वजनिक जानकारी हेतु यह अधिसूचित किया जाता है कि, संचालक, नीचे दी गई अनुसूची में यथानिर्दिष्ट ग्वालियर विकास योजना, 2035 में उपान्तरण प्रस्तावित करता है।

अनुसूची

क्रं	ग्राम/ तहसील एवं जिला	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपान्तरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग
			कुल रकबा	उपांतरण हेतु प्रस्तावित रकबा		
1.	ग्राम जडेरूआ खुर्द तहसील मुरार जिला ग्वालियर	**215**	0.345	0.3162	प्रस्तावित मार्ग, प्रस्तावित बस स्टेण्ड एवं. आमोद-प्रमोद	मिश्रित, आमोद-प्रमोद एवं मार्ग
2.		218/1	0.1050	0.0419	प्रस्तावित मार्ग एवं प्रस्तावित बस स्टेण्ड	
3.		218/2	1.7840	1.6851	प्रस्तावित मार्ग एवं प्रस्तावित बस स्टेण्ड	
4.		222	0.888	0.6966	प्रस्तावित बस स्टेण्ड	
5.		223	1.191	0.6795	प्रस्तावित मार्ग, प्रस्तावित बस स्टेण्ड एवं आमोद-प्रमोद	
6.		225	0.564	0.4388	आमोद-प्रमोद, एवं प्रस्तावित बस स्टेण्ड,	
	कुल रकबा		**4.877**	**3.8581**		

शर्त :-

1. प्रश्नाधीन भूमि के पूर्व दिशा में वर्तमान भिण्ड मार्ग स्थित है,. जिसकी ग्वालियर विकास योजना, 2035 में प्रस्तावित चौडाई 60.00 मीटर निर्दिष्ट है। अत: मार्ग के मध्य से दोनों ओर 30.00 मीटर- 30.00 मीटर भूमि मार्ग विस्तार हेतु सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा।
2. प्रश्नाधीन भूमि के उत्तर दिशा में भिण्ड मार्ग से सहायक मार्ग की ग्वालियर विकास योजना, 2035 में प्रस्तावित चौडाई 30.00 मीटर निर्दिष्ट है। अत: प्रस्तावित मार्ग की 30.00 मीटर भूमि मार्ग हेतु सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा।
3. स्थल पर स्थित वृक्षों को यथासंभव यथास्थिति में रखा जाना आवश्यक होगा एवं वृक्षों को हटाने की दशा में संबंधित विभाग से अनुमति अनिवार्य होगी।

4. पर्यावरणीय एवं प्रदूषण के संबंध में संबंधित विभाग के निर्धारित मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।

5. ग्वालियर विकास योजना, 2035 एवं म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा।

प्रस्तावित उपान्तरण के ब्यौरे, सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिन की समयावधि के लिये आम जनता को निरीक्षण के लिये संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय ग्वालियर तथा संचालनालय की वेबसाईट www.mptownplan.gov.in पर भी उपलब्ध होंगे।

प्रस्तावित उपान्तरण के संबंध में यदि किसी व्यक्ति के कोई आपति/सुझाव हो तो, वह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, म.प्र. भोपाल अथवा संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, ग्वालियर को दैनिक समाचार पत्रों में इस सूचना प्रकाशन होने की दिनांक से 15 दिन के भीतर लिखित में प्रस्तुत कर सकेगा एवं ऐसी आपत्तियॉ या सुझाव, जो उपर विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान होने से पूर्व प्राप्त हो, पर विचार किया जाएगा।

(श्रीकांत बनोठ)
आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म.प्र. भोपाल